



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 17 जनवरी, 2025 / 27 पौष, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

दिनांक—171009, 31 दिसम्बर, 2024

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-54354-65.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0 (1)-6/2024 दिनांक 20-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश

नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्याक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत बड़सर, भकरेड़ी, बल्याह व बणी के ग्राम सभा क्षेत्रों को सम्मिलित कर नगर पंचायत बड़सर, जिला हमीरपुर का गठन किया गया है;

इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत बड़सर में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हमीरपुर, विकास खण्ड बिझड़ी की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत बड़सर, भकरेड़ी, बल्याह व बणी के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र से अपवर्जित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं। ग्राम सभा बड़सर में शेष बचे गांवों क्रमशः सतरूखा व जब्बल खैरिया को ग्राम सभा बल्याह व पथलवार में तथा ग्राम सभा भकरेड़ी के गांवों क्रमशः राहिल व मकतेडी को ग्राम सभा बल्याह व छतौली में प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम सभा अस्तित्व हेतु कम जनसंख्या/क्षेत्र रहने के कारण, साथ लगती ग्राम सभा/पंचायत में शामिल करने तथा ग्राम सभा बड़सर तथा भकरेड़ी का सभा क्षेत्र न रहने के आदेश भी प्रदान करते हैं।

यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम का धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
सचिव (पंचायती राज)।

“अनुसूची”

क्र० सं०	ग्राम पंचायतों के नाम	पूर्णतः/ आंशिक	पटवार वृत्त का नाम	मोहाल/मौजा का नाम	प्रस्तावित खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 20-12-2024 में विनिर्दिष्ट है
1	2	3	4	5	6
1.	बड़सर	आंशिक नोट:- ग्राम सभा बड़सर में शेष बचे गांवों क्रमशः सतरूखा व जब्बल खैरिया को ग्राम सभा	बड़सर	बड़सर (पूर्ण)	मोहाल के पूर्ण खसरा नं० सम्मिलित किए गए।

		बल्याह व पथल्यार में शामिल किया है।			
2.	भकरेड़ी	आंशिक नोट:- ग्राम सभा भकरेड़ी के गांवों क्रमशः राहिल व मकतेडी को ग्राम सभा बल्याह व छतौली में शामिल किया है।	बल्याह	भकरेड़ी, कौहवा, जटुन्डा खास व बग्गी (पूर्ण)	मोहाल के पूर्ण खसरा नं0 सम्मिलित किए गए
3.	बल्याह	आंशिक	विरसवी	घुमारवीं (पूर्ण)	मोहाल के पूर्ण खसरा नं0 सम्मिलित किए गए
4.	बग्गी	आंशिक	बग्गी	बग्गी खास, सेरी, कुठेडा, कारवी, चमयोला, तुखाणी, मगरोली व ठाणा (पूर्ण)	मोहाल के पूर्ण खसरा नं0 सम्मिलित किए गए

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 31 दिसम्बर, 2024

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-54168-75.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0 (1)-19/2024 दिनांक 23-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्याक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद देहरा, जिला कांगड़ा में सम्मिलित किया गया है;

इस बावत शहरी विकास विभाग द्वारा नगरपालिका परिषद देहरा में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड देहरा की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र को अपवर्जित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं। यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के

पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम का धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेंगे।

“अनुसूची”

क्र० सं०	ग्राम पंचायतों के नाम	पूर्णतः/आंशिक	पटवार वृत्त का नाम	मोहाल/मौजा का नाम	खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 23-12-2024 में विनिर्दिष्ट है
1	2	3	4	5	6
1.	खबली	आंशिक	पाईसा	लदाना डिगुण	517/447, 419, 420, 424 182, 203
2.	शिवनाथ	आंशिक	धवाला	बरवाड़ा	188/1
3.	बाड़ी खास	आंशिक	देहरा	जखुनी	690/552, 692/552/1, 673/567, 695/573, 683/671

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—171009, 31 दिसम्बर, 2024

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-54288-96.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0 (1)-16/2024 दिनांक 23-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्याक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत बनीखेत, पुखरी व ढलोग के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को सम्मिलित कर नगर पंचायत बनीखेत, जिला चम्बा का गठन किया गया है;

इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत बनीखेत के गठन बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला चम्बा, विकास खण्ड भटियात की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत बनीखेत, पुखरी व ढलोग के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र को अपवर्जित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं तथा ग्राम सभा बनीखेत का संपूर्ण सभा क्षेत्र नगर पंचायत में शामिल होने के फलस्वरूप इसके सभा क्षेत्र न रहने के आदेश भी प्रदान करते हैं।

यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम का धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
सचिव (पंचायती राज)।

“अनुसूची”

क्र० सं०	ग्राम पंचायतों के नाम	पूर्णतः/आंशिक	पटवार वृत्त का नाम	मोहाल/मौजा का नाम	खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 23-12-2024 में विनिर्दिष्ट है
1	2	3	4	5	6
1.	बनीखेत	पूर्णतः	बनीखेत	बनीखेत जरेई व कस्बा बनीखेत	ग्राम सभा बनीखेत का संपूर्ण क्षेत्र नगर पंचायत में सम्मिलित किया गया।
2.	पुखरी	आंशिक	बनीखेत	आर. एफ. सुर्खिंगला	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 73/54, 74/54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70 कुल खसरा नम्बर = 25
				बनीखेत जरेई	870/162, 1395/871/162 to 1399/871/162, 1421/1400/871/162, 1422/1400, 871/162, 1401/871/162, 1402/871/162, 1423/1403/871/162, 1428/1403/871/162, 1035/872/162, 165, 166, 167, 168, 169, 841/170, 842/170, 171, 172, 173, 174, 1275/175, 1276/175, 176, 177, 1382/178 to 1385/178, 1169/179, 1243/1170/179, 1244/1170/179, 1171/179, 1172/179, 180, 181, 182, 183, 184, 1281/185, 1282/185, 186 to 202, 1365/203 to 1367/203, 204, 1368/205, 1369/205, 206, 207, 1300/208 to 1302/208, 1411/209, 1412/209, 210 to 213, 439, 1106/899, 440 to 1110/899/440, 1173/900/440, 1174/900/440, 1052/901/440, 902/440, 970/912/440, 956/440, 1148/153/440, 1341/1149/1053/440 to 1347/1149/1053/440, 441 to 443, 450, 451, 452, 453, 545, 455, 456, 457, 1246/913/458, 1247/913/458, 914/458, 915/458, 459, 460, 461, 494, 494/1, 495, 497, 498, 813/499, 1056/814/499, 1057/814/499, 500, 501, 502, 503, 1222/803/504 to 1224/803/504, 805/505, 1189/563 to 1196/563/564, 797/565, 798/565, 566 to 569, 931/570, 932/570/571 to 572, 1081, 572/1, 1082/572/1, 573 to 575, 845/576, 846, 576, 577, 1197/578 to 1201/578, 1021/579 to 1023/579, 1202/1024/579, 1203/1024/579, 1025/579, 1026/579, 1463/127/579, 1464/1027/579, 1028/579 to 1031/579, 1083/1032/579, 1084/1032/579, 1128/1085/579, 1129/1085/579, 579/1, 580 to 582, 933/583, 934/53935/583, 584 to 587, 1086/588, 1087/588, 1088/589, 1254/1089/589, 1255/1089/589, 590, 936/591, 937/591, 938/591, 1370/592, 1371/592, 1432/1372/592 to 1435/1372/592, 1373/592, 1374/592, 593 to 600, 1408/601 to 1410/601, 602, 741 to 762, 835/763, 836/763, 764 to 774, 1100/826/775, 1101/826/775, 952/827/775 to 955/827/775, 776, 777, 1033/778, 1034, 779, 1429/780 to 1431/780, 781 to 783, 1142/784, 1143/784, 1296/1144/784 to 1299/1144/784, 785,

					786, 1102/787, 1103/787, 788 to 792 कुल खसरा नं०= 295
				पुखरी	1 to 4, 553/504/5, 554/504/5, 505/5, 506/5, 6, 565/7, 566/7, 8 to 12, 411/13, 412/13, 14 to 19, 19/1, 20, 20/1, 21 to 31, 516/32 to 518/32, 33 to 36, 36/1, 37 to 39, 413/40, 414/40, 40/1, 41 to 55, 581/56, 582/56, 56/1, 567/57, 568/57, 58 to 61, 436/62, 437/62, 63 to 67, 452/68, 453/68, 480/438/69 to 482/438/69, 540/439/69, 541/439/69, 440/69, 441/69, 70, 71, 595/72, 596/72, 73, 597/74 to 602/74, 569/429/75 to 575/429/75, 430/75, 76, 578/77 to 580/77, 78, 79, 583/80 to 585/80, 450/81, 451/81, 82, 454/83, 455/83, 84, 442/85, 443/85, 86/87, 507/88, 605/508/88 to 608/508/88, 89 to 92, 519/93 to 521/93, 94 to 96, 536/415/97, 537/415/97, 550/415/97 to 552/415/97, 416/97, 483/417/97, 484/417/97, 418/97, 98, 99, 592/100 to 594/100, 485/101, 486/101, 102, 103, 487/104, 488/104, 105 to 113, 431/114, 432/114, 474/433/114, 475/433/114, 115 to 127, 456/128, 457/128, 129 to 132, 476/133, 479/133, 134 to 136, 530/137 to 535/137, 576/137/1, 577/137/1, 138, 139, 509/140 to 511/140, 141, 142, 489/143 to 497/143, 144 to 146, 458/147, 459/147, 460/148, 461/148, 149 to 153, 609/154, 610/154, 155 to 157, 419/158, 420/158, 159 to 172, 434/173, 435/173, 174 to 184, 477/185, 478/185, 186 to 220, 421/221, 422/221, 222, 223, 611/224, 612/224, 225 to 233, 444/234, 445/234, 235 to 247, 462/248, 463/248, 249 to 251, 544/252 to 546/252, 464/253, 465/253, 446/254, 447/254, 255, 466/256, 467/256, 498/257 to 500/257, 258, 259, 501/260 to 503/260, 261 to 263, 588/547/264, 589/547/264, 548/264, 549/264, 265, 423/266, 424/266, 267 to 274, 448/275, 449/275, 276 to 282, 468/283, 469/283, 284 to 286, 470/287, 590/471/287, 591/471/287, 288, 289, 538/290, 559/539/290, 560/539/290, 291 to 301, 301/1, 302 to 313, 613/314, 614/314, 315 to 346, 425/347, 429/347, 348, 522/349, 523/349, 350, 351, 427/352, 428/352, 353 to 363, 542/364, 543/364, 365 to 370, 603/371, 604/371, 372 to 374, 528/375, 529/375, 376, 377, 472/378, 473/378, 379, 380, 586/381, 587/381, 382 to 385, 615/386, 616/386, 512/387, 513/387, 555/388 to 558/388, 561/389 to 564/389, 390 to 400, 524/401 to 527/401, 402 to 406, 514/407, 515/407, 408 to 410 कुल खसरा नं०= 544
3.	ढलोग	आंशिक	बनीखेत	आर. एफ. बनीखेत	1/1, 2, 113/3, 114/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 118/15, 119/15, 120/15, 121/15, 122/15, 115/16, 116/16, 117/16, 17, 18 कुल खसरा नम्बर = 27

				बनीखेत जरई	228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 24, 242, 243, 244 कुल खसरा नं० = 16
--	--	--	--	------------	--

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 31 दिसम्बर, 2024

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-54184-91.— यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0 (1)-17/2024 दिनांक 20-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्याक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत कोटला व राजोल के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को सम्मिलित कर नगर पंचायत कोटला, जिला कांगड़ा का गठन किया गया है;

इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत कोटला के गठन बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड नगरोटा सुरियां की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र को अपवर्जित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं तथा ग्राम सभा कोटला में शेष बचे राजस्व गांव भटेड/रिजर्व जंगल ब्लाह में प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम सभा अस्तित्व हेतु कम जनसंख्या/क्षेत्र रहने के कारण, इसे साथ लगती ग्राम सभा/पंचायत सोलधा में शामिल करने तथा ग्राम सभा कोटला का सभा क्षेत्र न रहने के आदेश भी प्रदान करते हैं।

यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम का धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेंगे।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित /—
सचिव (पंचायती राज)।

“अनुसूची“

क्र० सं०	ग्राम पंचायतों के नाम	पूर्णतः/ आंशिक	पटवार वृत्त का नाम	मोहाल/ मौजा का नाम	प्रस्तावित खसरा नम्बर के ब्यौरे
1	कोटला	आंशिक	कोटला	नेरी खास	1 to 14 232/15, 233/15, 16 to 19, 234/20, 235/20, 21 to 23, 274/24, 275/24, 276/24, 25, 26, 277/27, 278/27, 28, 29, 216/30, 217/30, 245/31, 246/31, 32, 247/33, 248/33, 34 to 53, 249/54, 250/54, 251/55, 252/55, 56/57, 218/58, 219/58, 220/58/1,

		कोटला में शेष बचे राजस्व गांव भटेड/रिजर्व जंगल ब्लाह ग्राम पंचायत सोलधा में शामिल हैं।		221/58/1, 222/59, 60 to 64, 64/1, 224/65, 226/66, 227/66, 227/66, 228/67, 229/67, 68 to 72, 72/1, 73 to 92, 239/93, 240/93, 94 to 102, 270/103, 271/103, 104 to 137, 236/138, 237/138, 258/238/138, 259/238/138, 260/238/138, 262/238/138, 264/238/138, 264/238/138, 266/238/138, 272/267/238/138, 273/276/238/138, 263/238/138/1, 265/238/138/1, 263/238/138/2, 265/238/138/2, 230/139, 231/139, 140 to 153, 279/154, 280/154, 281/155, 282/155, 283/155, 284/155, 285/155, 286/155, 287/156, 288/156, 289/156, 290/156, 291/157, 292/157, 293/157, 294/157, 295/157, 296/158, 297/158, 298/158, 299/158, 300/158, 159 to 161, 301/162, 302/162, 303/162, 304/162, 305/162, 306/162, 307/163, 308/163, 309/163/, 164, 310/165, 311/165, 166 to 170, 312/171, 313/171, 314/171, 315/171, 172 to 191 253/192, 254/192, 193, 194, 255/195, 256/195, 257/195, 196 to 202, 202/1, 203 to 205, 205/1, 206 to 212, 268/213, 269/213, 214, 215, 241/223, 242/223, 243/225, 244/225, to tal= 287
			ब्लाह / बल्ह	1 to 21, 1655/22, 1656/22, 23 to 26, 1657/27, 1658/27, 1659/27, 1660/27, 28 to 34, 1661/35, 1662/35, 1663/35, 36 to 63, 1615/64, 1620/64, 65 to 219, 219/1, 220 to 236, 1669/237, 1670/237, 238 to 261, 1664/262, 1665/262, 1666/262, 1666/263, 1667/263, 1668/263, 264 to 284, 1569/285, 1570/285, 286 to 293, 1598/294, 1599/294, 295 to 317, 1571/318, 1572/318, 1573/318, 319, 320, 1611/321, 1619, 321, 322 to 360, 1649/361, 1650/361, 362 to 367, 1576/368, 1577/368, 369 to 433, 433/1, 434 to 507, 507/1, 508 to 527, 527/1, 528 to 532, 532/1, 533 to 908, 908/1, 909, 909/1, 910 to 997, 997/1, 998 to 1036, 1606/1037, 1616/1037, 1038 to 1042, 1605/1043, 1641/1043, 1642/1043, 1646/1643/1043, 1647/ 1643/1043, 1648/1643/1043, 1653/1643/1043, 1654/1643/1043, 1607/1044, 1621/1044, 1651/1622/1044, 1652/1622/1044, 1045 to 1049, 1578/1050, 1579/1050, 1580/1050, 1051 to 1054, 1581/1055, 1582/1055, 1583/1055, 1584/1056, 1585/1056, 1057, 1586/1058, 1587/1058, 1059 to 1063, 1588/1064, 1589/1064, 1590/1064, 1591/1064, 1592/1064, 1593/1064, 1065 to 1067, 1574/1068, 1575/1068, 1069 to 1071, 1594/1072, 1595/1072, 1073 to 1084, 1600/1085, 1601/1085, 1086, 1596/1087, 1088 to 1091, 1644/1092, 1645/1092, 1093 to 1139, 1139/1, 1140 to 1200, 1200/1, 1201/1210, 1210/1, 1211, 1211/1, 1212

					to 1310, 1310/1, 1311 to 1444, 1609/1445, 1637/1445, 1638/1445, 1639/1445, 1640/1445, 1608/1446, 1629/1446, 1630/1446, 1631/1446, 1632/1446, 1633/1446, 1634/1446, 1635/1446, 1636/1446, 1447, 1448, 1610/1449, 1625/1449, 1626/1449, 1627/1449, 1628/1449, 1612/1450, 1623/1450, 1624/1450, 1451, 1451 to 1460, 1613 /1461, 1618/1461, 1614/1461, 1617/1462, 1463 to 1568, 1602/1597, 1603/1597, 1604/1597 Total= 1649
2	राजोल	आंशिक		लुटेहर	200 to 292, 460/293, 461/293/462/293, 463/293, 464, 293, 294, 295, 433/296, 434/296, 297, 435/298, 436/298, 299, 300, 444/301, 450/445/301, 451/445/301, 446/302, 452/447/302, 453/447/302, 303, 304, 420/305, 425/305, 424/305, 307 to 313, 360 to 387, 178 to 192, 428/193, 429/193, 430/193, 421/193, 432/193, 194 to 216, 402/217, 403/217, 218, 219, 404/220, 405/220, 406/220, 407/220, 221, to 226, 408/227, 409/227, 410/227, 411/227, 412/228, 413/228, 414/228, 415/228, 229, 416/230, 417/230, 418/230, 419/230, 231, 232 to tal= 135
				कहराना उर्फ विशनपुरा	केहराना उर्फ विशनपुरा 1, 2, 89/3, 90/3, 4 to 40 86/41, 87/41, 88/41, 82/42, 83/43, 84/43, 85/43, 44 to 81 Total= 86

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 31 दिसम्बर, 2024

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-54201-07.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0 (1)-20/2024 दिनांक 20-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्याक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत नगरोटा सुरियां, बासा, कथोली व सुकनाडा के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों को सम्मिलित कर नगर पंचायत नगरोटा सुरियां, जिला कांगड़ा का गठन किया गया है;

इस बावत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत नगरोटा सुरियां के गठन बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड

नगरोटा सुरियां की ग्राम पंचायत नगरोटा सुरियां, बासा, कथोली व सुकनाड़ा के सम्बन्धित क्षेत्र को ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude) कर सभा क्षेत्र न रहने के आदेश प्रदान करते हैं तथा ग्राम सभा बासा के शेष बचे सभा क्षेत्र को साथ लगती ग्राम सभा/पंचायत बनतुगली में शामिल करने के आदेश भी प्रदान करते हैं।

यह आदेश, उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम का धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या उक्त अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—171009, 31 दिसम्बर, 2024

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96- 54152-59.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0 (1)-3/2023 दिनांक 20-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत सन्धोल व दतवाड़ के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों को सम्मिलित कर नगर पंचायत सन्धोल, जिला मण्डी का गठन किया गया है;

इस बावत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत सन्धोल, के गठन बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी, विकास खण्ड धर्मपुर की ग्राम पंचायत सन्धोल व दतवाड़ के सम्बन्धित क्षेत्र को ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude) कर सभा क्षेत्र न रहने के आदेश, प्रदान करते हैं। यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या उक्त अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 31 दिसम्बर, 2024

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-54144-51.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0 (1)-14/2024 दिनांक 20-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत बलद्वाड़ा के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों को सम्मिलित कर नगर पंचायत बलद्वाड़ा, जिला मण्डी का गठन किया गया है;

इस बावत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत बलद्वाड़ा, के गठन बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी, विकास खण्ड गोपालपुर की ग्राम पंचायत बलद्वाड़ा के सम्बन्धित क्षेत्र को ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude) कर सभा क्षेत्र न रहने के आदेश प्रदान करते हैं। यह आदेश, उक्त अधिनियम की धारा (2-क) व (3-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या उक्त अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 31 दिसम्बर, 2024

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-54176-83.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0 (1)-15/2024 दिनांक 20-12-2024 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत खुण्डियां व छिलगा के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को सम्मिलित कर नगर पंचायत खुण्डियां, जिला कांगड़ा का गठन किया गया है;

इस बावत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत खुण्डिया के गठन बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड सुराणी की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र को अपवर्जित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं। यह आदेश उक्त अधिनियम की धारा (2-क) के प्रावधानों अनुसार पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—
सचिव (पंचायती राज)।

“अनुसूची”

क्र० सं०	ग्राम पंचायतों के नाम	पूर्णतः/आंशिक	पटवार वृत्त का नाम	मोहाल/मौजा का नाम	प्रस्तावित खसरा नम्बर जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 29-12-2024 में विनिर्दिष्ट हैं।
1	2	3	4	5	6
1.	खुण्डियां	आंशिक	खुण्डियां	खुण्डियां	मोहाल के पूर्ण खसरा न० कुल खसरा नं० .643
				गलोटी	मोहाल के पूर्ण खसरा न० कुल खसरा नं० .934
				लाहडू	मोहाल के पूर्ण खसरा न० कुल खसरा नं० .570
				सिहोटी	मोहाल के पूर्ण खसरा न० कुल खसरा नं० .860
2.	छिलगा			ठम्बा	मोहाल के पूर्ण खसरा न० कुल खसरा नं० .860

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 18-01-2025

विशनदेई उर्फ कृष्णादेई पत्नी श्री हंस राज, निवासी मुहल्ला/गांव व डा० मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3859/2024, दिनांक 30-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-5827, दिनांक 28-08-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी हंस राज पुत्र श्री जैसी राम, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी पत्नी की मृत्यु तिथि 13-09-1999 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत मंगला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत मंगला के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हंस राज पुत्र श्री जैसी राम, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पत्नी की मृत्यु तिथि 13-09-1999 को ग्राम पंचायत मंगला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु तिथि 13-09-1999 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

इसरो पुत्री परस राम, निवासी मुहल्ला/गांव डिभरी, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3169/2024, दिनांक 19-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-13002, दिनांक 10-07-2024,

शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया इसरो पुत्री परस राम, निवासी मुहल्ला/गांव डिभरी, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 15-07-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोहलडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया इसरो पुत्री परस राम, निवासी मुहल्ला/गांव डिभरी, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 15-07-1965 को ग्राम पंचायत कोहलडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 15-07-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

प्रकाश चन्द पुत्र नारद, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3226/2024, दिनांक 23-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-13468, दिनांक 20-07-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी प्रकाश चन्द पुत्र नारद, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत मंगला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मंगला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी प्रकाश चन्द पुत्र नारद, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1964 को ग्राम पंचायत मंगला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

जल्लो पुत्र हरदियाल, निवासी मुहल्ला/गांव घटेट, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बख्तपुर, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4549/2024, दिनांक 28-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-18360, दिनांक 20-07-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी भिन्दर पुत्र जल्लो, निवासी मुहल्ला/गांव घटेट, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पिता की मृत्यु तिथि 24-12-2001 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बख्तपुर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी पिता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत बख्तपुर के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी भिन्दर पुत्र जल्लो, निवासी मुहल्ला/गांव घटेट, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पिता की मृत्यु तिथि 24-12-2001 को ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि 24-12-2001 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

प्रकाश चन्द पुत्र श्री बुधिया, निवासी मुहल्ला/गांव लंजी, डा0 बरौर, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4741/2024, दिनांक 10-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-19190, दिनांक 09-10-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी प्रकाश चन्द पुत्र श्री बुधिया, निवासी मुहल्ला/गांव लंजी, डा0 बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बरौर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी प्रकाश चन्द पुत्र श्री बुधिया, निवासी मुहल्ला/गांव लंजी, डा0 बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1964 को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

दुर्गो पुत्री सोरमा, निवासी मुहल्ला/गांव पडेडा, डा0 बसोधन, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बसोधन, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4364/2024, दिनांक 21-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17646, दिनांक 17-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया दुर्गो पुत्री सोरमा, निवासी मुहल्ला/गांव पडेडा, डा0 बसोधन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-06-1979 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बसोधन के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बसोधन के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया दुर्गो पुत्री सोरमा, निवासी मुहल्ला/गांव पडेडा, डा0 बसोधन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-06-1979 को ग्राम पंचायत बसोधन के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी का कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-06-1979 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

जैनव पुत्री श्री नियाज अली, निवासी मुहल्ला/गांव हेरणू, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2629/2024, दिनांक 12-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8030, दिनांक 06-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया जैनव पुत्री श्री नियाज अली, निवासी मुहल्ला/गांव हेरणू, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1969 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत प्रौथा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया जैनव पुत्री श्री नियाज अली, निवासी मुहल्ला/गांव हेरणू, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1969 को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1969 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

हलीमा पुत्री नूरदीन, निवासी मुहल्ला/गांव उदेई, डा0 पल्यूर, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पल्यूर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3012/2024, दिनांक 05-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10111, दिनांक 13-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया हलीमा पुत्री नूरदीन, निवासी मुहल्ला/गांव उदेई, डा0 पल्यूर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-01-1963 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पल्यूर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पल्यूर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया हलीमा पुत्री नूरदीन, निवासी मुहल्ला/गांव उदेई, डा0 पल्यूर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-01-1963 को ग्राम पंचायत पल्यूर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-01-1963 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

बिमला देवी पुत्री नारायण सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव चलानूई, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 5203/2024, दिनांक 06-11-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17630, दिनांक 17-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया बिमला देवी पुत्री नारायण सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव चलानूई, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 08-10-1966 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गुवाड के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई

है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया बिमला देवी पुत्री नारायण सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव चलानूई, डा0 सराहन, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 08-10-1966 को ग्राम पंचायत गुवाड के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असागतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 08-10-1966 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

जैको पुत्र फकीरू, निवासी मुहल्ला/गांव हथला, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3009/2024, दिनांक 03-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-6697, दिनांक 16-03-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी जैको पुत्र फकीरू, निवासी मुहल्ला/गांव हथला, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1955 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी जैको पुत्र फकीरू, निवासी मुहल्ला/गांव हथला, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1955 को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई

आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1955 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

पिंकी देवी पुत्री परस राम, निवासी मुहल्ला/गांव बाडी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत औडा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3008/2024, दिनांक 04-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11861, दिनांक 15-06-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया पिंकी देवी पुत्री परस राम, निवासी मुहल्ला/गांव बाडी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 25-10-1990 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत औडा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत औडा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया पिंकी देवी पुत्री परस राम, निवासी मुहल्ला/गांव बाडी, डा0 साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 25-10-1990 को ग्राम पंचायत औडा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 25-10-1990 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

मुराद अली पुत्र शमाउन, निवासी मुहल्ला/गांव बडोह, डा0 पल्यूर, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पल्यूर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3989/2024, दिनांक 05-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17004, दिनांक 05-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी शमाउन पुत्र रोशन, निवासी मुहल्ला/गांव बडोह, डा0 पल्यूर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पुत्र की जन्म तिथि 08-02-2008 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पल्यूर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पल्यूर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी शमाउन पुत्र रोशन, निवासी मुहल्ला/गांव बडोह, डा0 पल्यूर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पुत्र की जन्म तिथि 08-02-2008 को ग्राम पंचायत पल्यूर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 08-02-2008 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

असमाईल पुत्र महन्दी, निवासी मुहल्ला/गांव टरेरा, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3011/2024, दिनांक 05-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9469, दिनांक 27-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी असमाईल पुत्र महन्दी, निवासी मुहल्ला/गांव टरेरा, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1959 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत चम्बी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चम्बी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी असमाईल पुत्र महन्दी, निवासी मुहल्ला/गांव टरेरा, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1959 को ग्राम पंचायत चम्बी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01-07-1959 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

योग राज पुत्र भिन्दरो, निवासी मुहल्ला/गांव खग्गा, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2905/2024, दिनांक 01-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा

अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11862, दिनांक 15-06-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी योग राज पुत्र भिन्दरो, निवासी मुहल्ला/गांव खग्गा, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 20-04-2003 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी योग राज पुत्र भिन्दरो, निवासी मुहल्ला/गांव खग्गा, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 20-04-2003 को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 20-04-2003 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

एकता पुत्री दीनू राम, निवासी मुहल्ला/गांव ब्रेही, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जांघी, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4502/2024, दिनांक 27-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17643, दिनांक 17-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया एकता पुत्री दीनू राम, निवासी मुहल्ला/गांव ब्रेही, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 07-11-1982 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जांघी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया एकता पुत्री दीनू राम, निवासी मुहल्ला/गांव ब्रेही, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि

07-11-1982 को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 07-11-1982 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

हलीमा पुत्री ईसा, निवासी मुहल्ला/गांव छन्नी, डा0 पल्यूर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पल्यूर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2821/2024, दिनांक 29-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11057, दिनांक 30-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया हलीमा पुत्री ईसा, निवासी मुहल्ला/गांव छन्नी, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1989 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पल्यूर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पल्यूर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया हलीमा पुत्री ईसा, निवासी मुहल्ला/गांव छन्नी, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1989 को ग्राम पंचायत पल्यूर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1989 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

मो0 रफी पुत्र ईसा, निवासी मुहल्ला/गांव छन्नी, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पल्यूर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2820/2024, दिनांक 24-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11863, दिनांक 15-06-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी मो0 रफी पुत्र ईसा, निवासी मुहल्ला/गांव छन्नी, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 30-12-2004 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पल्यूर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पल्यूर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मो0 रफी पुत्र ईसा, निवासी मुहल्ला/गांव छन्नी, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 30-12-2004 को ग्राम पंचायत पल्यूर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 30-12-2004 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 18-01-2025

जय राम पुत्र स्व0 श्री हुशियारा, निवासी मुहल्ला/गांव भनेरा, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बख्तपुर, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2781/2024, दिनांक 19-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11860, दिनांक 15-06-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी तिलक राज पुत्र स्व0 श्री जय राम, निवासी मुहल्ला/गांव भनेरा, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पिता की मृत्यु तिथि 04-08-2005 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बख्तपुर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके पिता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत बख्तपुर के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी तिलक राज पुत्र स्व0 श्री जय राम, निवासी मुहल्ला/गांव भनेरा, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पिता की मृत्यु तिथि 04-08-2005 को ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि 04-08-2005 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

चमनो पुत्री पन्छी, निवासी मुहल्ला/गांव बनोग, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघाट, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4817/2024, दिनांक 16-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-18812, दिनांक 04-10-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया चमनो पुत्री पन्धी, निवासी मुहल्ला/गांव बनोग, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया चमनो पुत्री पन्धी, निवासी मुहल्ला/गांव बनोग, डा0 सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1964 को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

कान्तो देवी पुत्री बुधिया, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4390/2024, दिनांक 23-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17637, दिनांक 17-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया कान्तो देवी पुत्री बुधिया, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 31-08-1981 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कान्तो देवी पुत्री बुधिया, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 31-08-1981 को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 31-08-1981 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 09-01-2025

इच्छया देवी पुत्री धारो, निवासी मुहल्ला/गांव लुड्डू, डा0 कठन्ना, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लुड्डू, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4659/2024, दिनांक 07-10-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-18825, दिनांक 04-10-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया इच्छया देवी पुत्री धारो, निवासी मुहल्ला/गांव लुड्डू, डा0 कठन्ना, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 16-09-1972 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत लुड्डू के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि

नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लुड्डू के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया इच्छया देवी पुत्री धारो, निवासी मुहल्ला/गांव लुड्डू, डा0 कठन्ना, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 16-09-1972 को ग्राम पंचायत लुड्डू के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 16-09-1972 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Kalpana Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Kalpana Devi d/o Sita Ram, r/o Village Karyala, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth which has taken place on 08-05-1962 but due to ignorance the same could not be entered in the record of Gram Panchayat Kathiana. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 08-05-1962, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the issue of this publication, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 06-01-2025.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Suresh Kumar

Versus

General Public

Notice to General Public.

Suresh Kumar s/o Sh. Sita Ram, Village Karyala, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of his date of birth which has taken place on 13-04-1958 but due to ignorance the same could not be entered in the record of Gram Panchayat Kathiana. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 13-04-1958, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the issue of this publication, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 06-01-2025.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Sushil Kumar

Versus

General Public

Notice to General Public.

Sushil Kumar s/o Sh. Sita Ram, Village Karyala, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of his date of birth which has taken place on 08-05-1962 but due to ignorance the same could not be entered in the record of Gram Panchayat Kathiana. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 08-05-1962, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the issue of this publication, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 06-01-2025.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Ms. Jamna Devi d/o Sh. Durga Ram, r/o Village Manoh Upperla, P.O. Karohta, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.). .. *Applicant.*

Versus

General Public

. . *Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003. Whereas, Ms. Jamna Devi d/o Sh. Durga Ram, r/o Village Manoh Upperla, P.O. Karohta, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth *i.e.* 24-03-1965 in the record of Gram Panchayat Karohta, Tehsil Bhoranj and Distt. Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed birth event of Jamna Devi d/o Durga Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 07-02-2025 at 10.00 A.M., tailing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 7th day of January, 2024.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Mukesh Kumar s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Deyog, P.O. Baroh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

2. Anchal Kumari d/o Sh. Daleep Kumar, r/o Village Taroon, P.O. Samour, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.) .. Applicant.

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

This application filed by the applicant with the prayer that they have solemnized their marriage on dated 02-07-2023 as per the Hindu rites and customs. But their marriage is not recorded in the record of Gram Panchayat Dadu. The applicants want to register their marriage in the record of said Gram Panchayat.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 07-02-2025. The objection received after 07-02-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 07-01-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Sh. Prabhat Singh s/o Sh. Khyali Ram, Village Doh, P.O. Badhani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) .. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Sh. Prabhat Singh s/o Sh. Khyali Ram, Village Doh, P. O. Badhani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of his father's date of birth *i.e.* 10-03-1967 in the record of Gram Panchayat Badhani, Tehsil Bhoranj and Distt. Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth Sh. Prabhat Singh s/o Sh. Khyali Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 07-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 20th day of December, 2024.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Shakuntla Devi d/o Sh. Sunder Singh, r/o Village Manoh Upperla, P.O. Karohta, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Shakuntla Devi d/o Sh. Sunder Singh, r/o Village Manoh Upperla, P.O. Karohta, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth *i.e.* 20-04-1963 in the record of Gram Panchayat Karohta, Tehsil Bhoranj and Distt. Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth event of Shakuntla Devi d/o Sh. Sunder Singh may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 20-01-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 20th day of November, 2024.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Ms. Kanta Devi d/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Palhi, P.O. Bhareri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Ms. Kanta Devi d/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Palhi, P. O. Bhareri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth *i.e.* 10-03-1963 in the record of Gram Panchayat Dhamrol, Tehsil Bhoranj and Distt. Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Ms. Kanta Devi d/o Sh. Jagdish Chand may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 20-01-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 20th day of December, 2024.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Shila Devi d/o Sh. Hari Singh, r/o Village Sahalwin, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) *.. Applicant.*

Versus

General Public

..Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Shila Devi d/o Sh. Hari Singh, r/o Village Sahalwin, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her birth *i.e.* 12-02-1950 in the record of Gram Panchayat Dhanwan, Tehsil Bhoranj and Distt. Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed birth event of Shila Devi d/o Sh. Hari Singh may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 06-02-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 6th day of January, 2025.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री राम चन्द, निवासी ग्राम खुडोग, डा0 थंगाड़, तहसील नेरूवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौहर के जन्म
पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री मोहन सिंह पुत्र श्री राम चन्द, निवासी ग्राम खुडोग, डा0 थंगाड़, तहसील नेरूवा ने
अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि
ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम
व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है:—

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	प्राची	पुत्री	15-06-2000

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म
पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर
प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत
करें अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत किरण को आगामी कार्यान्वयन हेतु
भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 07-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(अर्जुन सिंह परमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश पाण्डेय पुत्र श्री जोध राम पाण्डेय, ग्राम निवासी मनेवटी, डा0 थंगाड़, तहसील नेरूवा, जिला
शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री राजेश पाण्डेय पुत्र श्री जोध राम पाण्डेय, ग्राम निवासी मनेवटी, डा0 थंगाड़, तहसील नेरूवा, जिला शिमला ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा अपने पुत्र गौरव राज पाण्डेय का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आज तक पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है:-

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	गौरव राज पाण्डेय	पुत्र	23-06-2009

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत किरण को उपरोक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज तारीख 23-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(अर्जुन सिंह परमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरूवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती हसीना बेगम पत्नी अमीरो दीन, निवासी ग्राम किमाचंद्रावली, डा0 केदी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती हसीना बेगम पत्नी अमीरो दीन, निवासी ग्राम किमाचंद्रावली, डा0 केदी, तहसील नेरूवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती है:-

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	आफीफा	पुत्री	13-02-2016

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 04-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(अर्जुन सिंह परमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th January 2025

No. TPT-A(1)-1/2023-Vol.-II-loose.—As per Project Readiness Checklist of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India for Projects aided by Multi-lateral Financing Institutions (MFI), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Project Implementation Agency (PIA) in Ropeway and Rapid Transport System Development Corporation H.P. Ltd. with the following constitution for Construction & Implementation of “**Innovative Urban Transportation (Ropeways) Project in Shimla**” with immediate effect in public interest :—

Sr. No.	Name & Designation	Designation in PIA
1.	Er. Ajay Sharma, Director, RTDC	Project Director
2.	Er. Rohit Thakur, Chief General Manager, RTDC	Chief General Manager
3.	Er. Munish Sahni, Deputy General Manager, RTDC	Deputy General Manager
4.	Er. Ajain Anand, Manager (Civil), RTDC	Manager (Civil)
5.	Er. Pankaj, Assistant Manager (Mech.), RTDC	Assistant Manager (Mech.)

By order,

Sd/-

(R.D. NAZEEM)

Additional Chief Secretary (Transport).